

UPSH240027302017



न्यायालय अपर सिविल जज, (जू०डि०)/जे०एम०, तिलहर, शाहजहांपुर।

मूलवाद संख्या-139/2017

सत्यभान सिंह आदि

बनाम

सोनपाल सिंह आदि।

दि०-05.08.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी, वादी अनुपस्थित, प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वादी एक पक्षीय शेष बहस हेतु नियत है, परन्तु वादी अनुपस्थित है। जिसके चलते वादी को न्यायालय द्वारा पूर्व पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, परन्तु वादी अनुपस्थित है और न ही उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी को वाद चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वादी की अनुपस्थिति के चलते मूलवाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 दी०प्र०सं० में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 दी०प्र०सं० में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(उमम जाहिद) UP3654
अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,
तिलहर, शाहजहाँपुर।